

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला धितौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गैलडा (आर०ए०एम०)

प्रकरण संख्या : 03/2024

दायर दिनांक : 06/02/2024

निर्णय दिनांक : 06/03/2024

उनवान

1. भंवरदान पुत्र पाला जाति चारण निवासी टाण्डा तहसील भूपालसागर

बनाम

प्रार्थीगण

1. लालूदान पिता कालू चारण निवासी टाण्डा तहसील भूपालसागर
2. रामलाल पिता गणेश गुर्जर निवासी टाण्डा तहसील भूपालसागर
3. भैरूदान पिता रामा चारण निवासी टाण्डा तहसील भूपालसागर


अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित आये एवं पत्थरगढी की जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा टाण्डा तहसील भूपालसागर की खाता सं. 49 में आ.सं. 331 रकबा 0.04 है, आ.सं. 332 रकबा 0.07 है, आ.सं. 333 रकबा 0.01 है, आ.सं. 348 रकबा 0.21 है, आ.सं. 387/328 रकबा 0.08 है, आ.सं. 388/334 रकबा 0.18 है, किता 6 रकबा 0.59 हैक्टियर भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संघारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।


(पुनीत कुमार गैलडा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
भूपालसागर

